न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 1221/2023

प्रार्थी :– भारत कुमार पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी ग्राम पडासला कलां तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. किसनाराम पुत्र रतनाराम
2. भंवरीदेवी पत्नी रतनाराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम पडासला कलां तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :– प्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता
अप्रार्थी सं. 1 से 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
अप्रार्थी सं 3 सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक** :– 27/08/24

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पडासलां कलां तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 133 रकबा 0.8090 हैक्टयर, खसरा नम्बर 181 रकबा 0.5744 हेक्टयर, खसरा नम्बर 255 रकबा 3.7214 हैक्टयर, खसरा नम्बर 362/2 रकबा 1.1973 हैक्टयर, खसरा नम्बर 363/3 रकबा 1.4238 हैक्टयर, खसरा नम्बर 392 रकबा 1.4158 हैक्टयर, खसरा नम्बर 412 रकबा 2.9124 हैक्टयर, खसरा नम्बर 450 रकबा 2.0549 हैक्टयर कुल खसरा 8 कुल रकबा 14.1090 हेक्टयर आई हुई है। जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के खाता सं. 49 के अनुसार प्रार्थी के नाम दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं. 1 का 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 2 का 1/3 हिस्सा निहित व दर्ज है। सबूत के तौर पर जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के पिता व अप्रार्थी सं. 2 के पति रतनाराम के नाम दर्ज थी। रतनाराम का देहान्त हो जाने पर वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज हुई। वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध मे खातेदार रतनाराम का फौतेदगी म्यूटेशन भरते समय हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रृटि से प्रार्थी का नाम भारत कुमार के स्थान पर भागीरथ राम दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम भारत

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

कुमार पुत्र श्री रतनाराम है तथा प्रार्थी के परिवार में भागीरथराम नाम का कोई व्यक्ति नही है। वजह सबूत प्रार्थी के आधारकार्ड, पैनकार्ड स्कूल रेकर्ड, मतदाता पहचान पत्र व अन्य सरकारी दस्तावेजों की प्रतियां साथ संलग्न पेश है। जिसमें प्रार्थी का सही नाम भारत कुमार पुत्र श्री रतनाराम दर्ज है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के पद सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम भागीरथ राम के स्थान पर सही नाम भारत कुमार दर्ज किये जाने का आदेश अप्रार्थी सं. 3 को जारी फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण को समन बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से ना ता स्वयं उपस्थित हुए ना ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता पेश हुए। अप्रार्थीगण सं 1 व 2 को उपस्थित हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया, बार–बार आवाज लगवाई गई लेकिन इनकी ओर से कोई उपस्थित नही होने पर अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी सं. 3 सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम पडासलां कलां के खसरा नम्बर 133 रकबा 0.8090 हैक्टयर, खसरा नम्बर 181 रकबा 0.5744 हैक्टयर, खसरा नम्बर 255 रकबा 3.7214 हैक्टयर, खसरा नम्बर 362/2 रकबा 1.1973 हैक्टयर, खसरा नम्बर 363/3 रकबा 1.4238 हैक्टयर, खसरा नम्बर 392 रकबा 1.4158 हैक्टयर, खसरा नम्बर 412 रकबा 2.9124 हैक्टयर, खसरा नम्बर 450 रकबा 2.0549 हैक्टयर कुल खसरा 8 रकबा 14.1090 हैक्टयर आई हुई है। जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी चौसाला 2073 से 2076 के खाता नं. में प्रार्थी का 1/3 व अप्रार्थी सं. 1 व 2 का प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा है। वादी का प्रथम बार राजस्व रेकर्ड में नाम जरिये विरासत नामा. सं. 470, 471 भरे जाने पर भागीरथराम पुत्र रतनाराम दर्ज हुआ। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पेनकार्ड इत्यादि प्रस्तुत कर अपना नाम भारत कुमार होना बताया। पद सं. 4 से 6 का जवाब वादी स्वयं साबित करें।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की ईस्तदुआ है कि उनका राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम भागीरथराम के स्थान पर भारतराम किये जाने का आदेश फरमावें।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यो को दोहराया और दुरूस्ती किये जाने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, पैनकार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, पहचान पत्र आदि का अध्ययन किया। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रार्थी के सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी नाम भारत कुमार पुत्र रतनाराम दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम भागीरथराम पुत्र रतनाराम के नाम से दर्ज कर दिया गया जो एक लिपिकीय त्रुटी मालूम पड़ती है। जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पडासला कलां के खसरा नम्बर 133 रकबा 0.8090 हैक्टयर, खसरा नम्बर 181 रकबा 0.5744 हैक्टयर, खसरा नम्बर 255 रकबा 3.7214 हैक्टयर, खसरा नम्बर 362/2 रकबा 1.1973 हैक्टयर, खसरा नम्बर 363/3 रकबा 1.4238 हैक्टयर, खसरा नम्बर 392 रकबा 1.4158 हैक्टयर, खसरा नम्बर 412 रकबा 2.9124 हैक्टयर, खसरा नम्बर 450 रकबा 2.0549 हैक्टयर कुल खसरा 8 रकबा 14.1090 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाकर सयुक्त खातेदार प्रार्थी का नाम भागीरथराम पुत्र रतनाराम के स्थान पर भारत कुमार पुत्र रतनाराम किये जाने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को प्रदान किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 27/08/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा